Revised

वित्तीय दिशा निर्देश

कार्यक्रम का नामः Plans for HMIS Supportive supervision & Data Validation

बजट / एफ०एम०आर० शीर्ष : B15.3 Monitoring & Evaluation

बजट क्रम संख्या / एफ०एम०आर० संख्या : B15.3.3.b

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण : विगत वर्षो में राज्य स्वास्थ्य समिति ने एच०एम०आई०एस० के ऑकडों की समयबद्धता एवं कुछ हद तक ऑकड़ों की पूर्णता सुनिश्चित कर दी है। परन्तु ऑकड़ों की विश्वसनियता अभी इस प्रदेश में सुनिश्चित करना शेष है जो कि इस वर्ष के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति के मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है। **"विश्वसनीय ऑकड़े गुणवत्तापूर्ण सेवा"** के स्लोगन के साथ विगत वर्ष में उपस्वास्थ्य केन्द्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रेफरल अस्पताल एवं जिला अस्पतालों में प्रदान की जा रही सेवाओं को एच०आई०एम०एस० के माध्यम से बेव पोर्टल पर अपलोड किया गया है। तत्पश्चात इसे विश्लेषित कर सिविल सर्जन की बैठकों में भी राज्य स्तर पर प्रदर्शित किया जाता रहा है। वर्तमान में राज्य स्वास्थ्य समिति ने एक ही श्रोत से सभी ऑकड़ों को विश्लेषित करने का दिशा–निर्देश दिया है जिसका अभी भी पूर्णता पालन किया जाना शेष है। इस वर्ष की यह कार्य योजना है कि ऑकड़ो का भौतिक सत्यापन जिलों के द्वारा प्रेषित ऑकड़ों के आधार पर किया जाये।

इसी दिशा–निर्देश के अनुरूप राज्य स्तरीय रिसोर्स पुल के सदस्य जिलों के द्वारा अपलोड किये गये ऑकड़ों को डाउनलोड करके उसका वैलिडेशन करेंगे। यह कार्य मुख्य रूपं से पाँच आयामों पर किया जायेगा, तथा इसे विभिन्न सांखिकिक विधियों से वैलिडेट कर विभिन्न स्तरों पर प्रेषित करेगें जिसका उपयोग जिला अपनी कार्य–योजना बनानें के लिए करेंगी।
उपर्युक्त ऑकड़ों का वैलिडेशन निम्नलिखित आयामों पर किया जायेगा :–

1. सेवाओं की पहुँच (Accessibility)
2. सेवाओं की उपलब्धता (Availbility)
3. सेवाओं का आच्छादन (Coverage)
4. सेवाओं का पूर्ण आच्छादन (Adequate coverage)
5. गुणवत्तापूर्ण सेवायें (Effective coverage)

(1) उपर्युक्त बिन्दुओं पर ऑकड़ों को विश्लेषित करने हेतु एक दिशा–निर्देशिका विकसित की जायेगी। जिसपर राज्य स्तरीय रिसोर्स पुल के सदस्यों को प्रशिक्षित किया जायेगा।
(2) उपर्युक्त दिशा–निर्देशिका के आलोक में राज्य स्तरीय रिसोर्स पुल के सदस्यों की यह जबाबदेही होगी कि प्रखण्ड स्तर के सभी प्रकार के सुपरवाईजर के साथ क्षेत्र–भ्रमण करेंगे तथा उन्हें ऑकड़ों के वैलिडेशन की प्रक्रिया पर प्रशिक्षित करेंगे।

राज्य स्तरीय रिसोर्स पुल के सदस्यों की यह जबाबदेही होगी कि पर्यवेक्षकों का कौशल विकसित करेंगे। साथ ही प्रखंड स्तरीय पर्यवेक्षकों के कौशल का विकास ही रिसोर्स पुल के सदस्यों के लिए परफार्मेन्स एपराइजल के लिए मानक होगा।

इस कार्य के लिए एक रिसोर्स पुल के सदस्य को 1 (एक) जिला आवंटित किया जायेगा। यदि जिन जिलों में एक रिसोर्स पुल के सदस्य से अधिक सदस्यों की आवश्यकता है तो इसका निर्णय राज्य स्तर से लिया जायेगा । राज्य स्तरीय रिसोर्स पुल के भ्रमण करने के स्थानों का निर्णय जिला M&E अधिकारी करेंगे।

भ्रमण करने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द के चयन का आधार एच०एम०आई०एस० के ऑकड़ों का वेब पोर्टल पर समय से प्रवृष्टि का नहीं होना तथा ऑकड़ों की अपूर्णता अर्थात जितने ऑकड़े भरे जाने चाहिए उतने ऑकड़े सही तरीके से भरा नहीं होना होगा। तीसरा मानक ऑकड़ों का सत्यापन कहना होगा क्योंकि जैसा कि आपको विदित है यह वर्ष राज्य स्वास्थ्य समिति ने HMIS ऑकड़ों की शुद्धता स्थापित करने के लिए घोषित किया है इस लिए आवश्यक है कि रिसोर्स पुल के सदस्यों को प्रखण्डों के द्वारा भरे गये वेब पोर्टल पर ऑकड़ों को लेकर उपस्वास्थ्य केन्द्र तथा समुदाय के स्तर पर भौतिक सत्यापन करने का कार्य आवंटित किया जाये एवं सत्यापित ऑकड़ों को संकलित कर जिले स्तरीय बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

अनुश्रवण एवं मुल्यांकन पदाधिकारी स्वयं भी महीने में चार बार क्षेत्र भ्रमण करेंगे जिसका आधार उपर्युक्त सूचकांक अथवा जिला स्वास्थ्य समिति की आवश्यकता होगी । उपर्युक्त दोनो प्रकार की राशि के अतिरिक्त अनुश्रवण एवं मुल्यांकन पदाधिकारी को जवाबदेही में 50,000/– रूपये की राशि भी आवंटित की जा रही है जिसका उपयोग ऑकड़ों को विश्लेषित करने हेतु किसी फर्म/ विश्वविद्यालय के शिक्षक आदि को संलग्न किया जा सकता है एवं इसके आधार पर हिन्दी में जिले का त्रैमासिक बुलेटिन तैयार कर जन प्रतिनिधियों एवं संबंधित पदाधिकारियों को भेजा जाये।

इकाई राशि (रू० में) :

रिसोर्स पुल के सदस्यों के द्वारा स्वास्थ्य संस्थानों में भ्रमण के लिए मदवार राशि निम्न प्रकार निर्धारित की गई है –

क्र. सं.	मद	निर्धारित राशि
1	रिसोर्स पुल के सदस्यों का मानदेय	रूपये 1000/– प्रति भ्रमण
2	रिसोर्स पुल के सदस्यों के रहने, खाने एवं अन्य एच०एम०आई०एस० संबंधित कार्यो यथा इन्टरनेट का प्रयोग, प्रिन्टआउट निकालना एवं अन्य।	अधिकतम रूपये 1000/– प्रति भ्रमण (निरूपित प्रक्रियानुसार)
3	रिसोर्स पुल के सदस्यों के द्वारा स्वास्थ्य केन्द्रों पर भ्रमण के लिए वाहन की व्यवस्था।	रूपये 1500/– प्रतिदिन (अधिकतम दो दिनों के लिए)

वित्तीय दिशा निर्देश : रिसोर्स पुल के सदस्यों के भ्रमण एवं उनके रहने की व्यवस्था जिला मोनिटरिंग एवं इवैलुशन पदाधिकारी करेंगे। प्रत्येक जिलों के लिए रिसोर्स पुल के सदस्यों के भ्रमण के लिए भौतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रत्येक जिले के लिए राज्य स्तर से रिसोर्स पुल के सदस्यों के नाम के साथ पत्र प्रेषित किया जायेगा जिसके आधार पर M&EO प्रखण्डों में रिसोर्स पर्सन के भ्रमण को निर्धारित करते हुये उसके भ्रमण को सुनिश्चित करेंगे। रिसोर्स पुल के सदस्य राज्य द्वारा प्रेषित चेक –लिस्ट में प्रतिवेदनों को संकलित कर सम्बन्धित M&EO को समर्पित करेंगे तथा एक प्रति राज्य स्वास्थ्य समिति के राज्य डाटा अधिकारी के Email:hmis@statehealthsocietybihar.org पर एवं संबंधित प्रमंडल के Regional M&E Officer को प्रेषित करेंगे। प्रतिवेदन समर्पित करने के एक सप्ताह के अन्दर जिला अनुश्रवण एवं मुल्यांकन पदाधिकारी की यह जवाबदेही होगी कि रिसोर्सपुल के सदस्यों की भुगतान किया जायें। यदि उनका भुगतान समयावधि के अन्दर नहीं किया जाता है तो उसकी सूचना रिसोर्स पर्सन राज्य डाटा अधिकारी को उनके मोबाईल संख्या 9470003015 पर SMS करेंगे साथ ही क्षेत्रिय अनुश्रवण एवं मुल्यांकन पदाधिकारी को भी SMS करेंगे।

क्षेत्रिय एवं जिला अनुश्रवण एवं मुल्यांकन पदाधिकारी स्वयं भी महीने में चार बार क्षेत्र भ्रमण करेंगे एवं क्षेत्र भ्रमण का प्रतिवेदन क्षेत्रिय अनुश्रवण एवं मुल्यांकन पदाधिकारी अपने क्षेत्रीय उपनिदेशक एवं राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को तथा जिले के जिला अनुश्रवण एवं मुल्यांकन पदाधिकारी अपने सिविल सर्जन, अपने क्षेत्रिय अनुश्रवण एवं मुल्यांकन पदाधिकारी एवं राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को भी प्रेषित करेगें । इसके लिए प्रति भ्रमण उन्हें 1500/– (एक हजार पॉच सौ रूपये) की राशि दी जा रही हैं ।

क्षेत्रिय एवं जिला अनुश्रवण एवं मुल्यांकन पदाधिकारी के द्वारा किये गये क्षेत्र भ्रमण में भी उपर्युक्त उल्लेखित चेक लिस्ट का ही प्रयोग किया जायेगा तथा इसे क्षेत्रिय एवं जिला अनुश्रवण एवं मुल्यांकन पदाधिकारी क्रमशः क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधक एवं जिला कार्यक्रम प्रबन्धक को समर्पित करेगें, तत्पश्चात इसकी एक प्रति राज्य स्वास्थ्य समिति को भी प्रेषित करेगें। राशि के भुगतान से पूर्व भ्रमण प्रपत्र की संपुष्टि क्रमशः क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधक एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक करेगें । बुलेटिन का प्रकाशन एवं अन्य कार्यो को बिहार सरकार के वित्तीय नियमावली 2005 के अनुसार ही सम्पादित किया जायेगा।

नोटः उपर्युक्त सभी कार्यो का प्रवेक्षण क्षेत्रिय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के द्वारा किया जायेगा।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) पत्रांक – SHSB/DOSA/49/2009/27490, दिनांक : 22.06.2011
(ख) पत्रांक – SHSB/DOSA/37/07/Part1/26716, दिनांक : 30.05.2011
(ग) पत्रांक – SHSB/DOSA/51/10/21163, दिनांक : 12.11.2010
(घ) पत्रांक – SHSB/DOSA/51/10/20705, दिनांक : 23.10.2010
(ङ.) पत्रांक – SHSB/DOSA/37/07/Part1/19203, दिनांक : 16.08.2010
(च) पत्रांक – SHSB/DOSA/37/07/Part1/18369, दिनांक : 12.07.2010
(छ) पत्रांक – SHSB/DOSA/37/07/Part1/15381, दिनांक : 29.03.2010
(ज) पत्रांक – SHSB/DOSA/37/07/15179, दिनांक : 15.03.2010
(झ) पत्रांक – SHSB/DOSA/37/07/15178, दिनांक : 15.03.2010

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का नाम : अरविन्द कुमार, सिस्टम एनालिस्ट कम डाटा ऑफिसर

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का फोन नंबर : 9470003015